



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274842
CG-DL-E-27072026-274842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3904]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3904]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4074(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि "महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. NH-965G पर वेळापुर-महुड-सांगोला-जत खंड में सांगोला शहर के पुनर्संरचन (कि.मी. 186/762 से कि.मी. 190/440) का कार्य पक्के चार लेन सहित संरचना में पुनर्वास एवं उन्नयन, EPC मोड पर किया जाना प्रस्तावित के अंतर्गत" रखरखाव, प्रबन्धन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. NH-965G पर वेळापुर-महुड-सांगोला-जत खंड में सांगोला शहर के पुनर्संरचन (कि.मी. 186/762 से कि.मी. 190/440) का कार्य पक्के चार लेन सहित संरचना में पुनर्वास एवं उन्नयन, EPC मोड पर किया जाना प्रस्तावित आदि के लिए अर्जन किए जाने वाली संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सांगोला					
गांव का नाम: वासुद					
1	234	निजी	जिरायत	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
2	235	निजी	जिरायत	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
3	237	निजी	जिरायत	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
4	238	निजी	जिरायत	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
5	239	निजी	जिरायत	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
6	240	निजी	जिरायत	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
7	241	निजी	जिरायत	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
8	242	निजी	जिरायत	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
9	257	निजी	जिरायत	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
10	258	निजी	जिरायत	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
11	259	निजी	जिरायत	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	260	निजी	जिरायत	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
13	261	निजी	जिरायत	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
14	262	निजी	जिरायत/ बागायत	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
15	264	निजी	जिरायत	0.085 (हेक्टेयर)	0.085
16	272	निजी	जिरायत	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
17	273	निजी	जिरायत	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
18	274	निजी	जिरायत	0.215 (हेक्टेयर)	0.215
19	277	निजी	जिरायत	0.165 (हेक्टेयर)	0.165
20	278	निजी	जिरायत	0.15 (हेक्टेयर)	0.15

21	279	निजी	जिरायत	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
22	282	निजी	जिरायत	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
23	291	निजी	जिरायत	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
24	292	निजी	जिरायत	0.155 (हेक्टेयर)	0.155
25	293	निजी	जिरायत	0.25 (हेक्टेयर)	0.25
26	317	निजी	जिरायत	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
27	321	निजी	जिरायत	0.4147 (हेक्टेयर)	0.4147
28	322	निजी	जिरायत	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
29	323	निजी	जिरायत	0.22 (हेक्टेयर)	0.22
30	324	निजी	जिरायत	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
31	325	निजी	जिरायत	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
32	326	निजी	जिरायत	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
33	327	निजी	जिरायत	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
34	328	निजी	जिरायत	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
35	329	निजी	जिरायत	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
36	330	निजी	जिरायत	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
37	331	निजी	जिरायत	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
38	332	निजी	जिरायत	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
39	333	निजी	जिरायत	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
40	334	निजी	जिरायत	0.58 (हेक्टेयर)	0.58
गांव का नाम: सांगोला					
41	131	निजी	जिरायत/ अकृषक	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
42	133	सामान्य	जिरायत	1.13 (हेक्टेयर)	1.13
43	134	निजी	जिरायत	1.29 (हेक्टेयर)	1.29
44	155	निजी	जिरायत	0.1317 (हेक्टेयर)	0.1317
45	156	सामान्य	जिरायत	2.1547 (हेक्टेयर)	2.1547
गांव का नाम: सांगोला शहर					
46	275	निजी	जिरायत/ अकृषक	0.5573 (हेक्टेयर)	0.5573
Total					13.4584

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4074(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building of Rehabilitation and Upgradation to 4 lanes with paved shoulder configuration of Realignment at Sangola City (From Km 186/762 to Km 190/440) on Velapur - Mahud-Sangola -Jath of NH-965G on EPC mode in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer Mangalwedha**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with Rehabilitation and Upgradation to 4 lanes with paved shoulder configuration of Realignment at Sangola City (From Km 186/762 to Km 190/440) on Velapur-Mahud-Sangola Jath of NH-965G on EPC mode in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sangola					
Village: Vasud					
1	234	Private	Dry	0.22 (Hectare)	0.22
2	235	Private	Dry	0.2 (Hectare)	0.2
3	237	Private	Dry	0.36 (Hectare)	0.36
4	238	Private	Dry	0.25 (Hectare)	0.25
5	239	Private	Dry	0.21 (Hectare)	0.21
6	240	Private	Dry	0.11 (Hectare)	0.11
7	241	Private	Dry	0.06 (Hectare)	0.06
8	242	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01
9	257	Private	Dry	0.19 (Hectare)	0.19
10	258	Private	Dry	0.24 (Hectare)	0.24
11	259	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
12	260	Private	Dry	0.065 (Hectare)	0.065
13	261	Private	Dry	0.065 (Hectare)	0.065
14	262	Private	Dry/Wet	0.25 (Hectare)	0.25

15	264	Private	Dry	0.085 (Hectare)	0.085
16	272	Private	Dry	0.13 (Hectare)	0.13
17	273	Private	Dry	0.225 (Hectare)	0.225
18	274	Private	Dry	0.215 (Hectare)	0.215
19	277	Private	Dry	0.165 (Hectare)	0.165
20	278	Private	Dry	0.15 (Hectare)	0.15
21	279	Private	Dry	0.2 (Hectare)	0.2
22	282	Private	Dry	0.4 (Hectare)	0.4
23	291	Private	Dry	0.28 (Hectare)	0.28
24	292	Private	Dry	0.155 (Hectare)	0.155
25	293	Private	Dry	0.25 (Hectare)	0.25
26	317	Private	Dry	0.9 (Hectare)	0.9
27	321	Private	Dry	0.4147 (Hectare)	0.4147
28	322	Private	Dry	0.17 (Hectare)	0.17
29	323	Private	Dry	0.22 (Hectare)	0.22
30	324	Private	Dry	0.09 (Hectare)	0.09
31	325	Private	Dry	0.225 (Hectare)	0.225
32	326	Private	Dry	0.14 (Hectare)	0.14
33	327	Private	Dry	0.14 (Hectare)	0.14
34	328	Private	Dry	0.09 (Hectare)	0.09
35	329	Private	Dry	0.07 (Hectare)	0.07
36	330	Private	Dry	0.07 (Hectare)	0.07
37	331	Private	Dry	0.12 (Hectare)	0.12
38	332	Private	Dry	0.15 (Hectare)	0.15
39	333	Private	Dry	0.2 (Hectare)	0.2
40	334	Private	Dry	0.58 (Hectare)	0.58
Village: Sangola					
41	131	Private	Dry/ non agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
42	133	Common	Dry	1.13 (Hectare)	1.13
43	134	Private	Dry	1.29 (Hectare)	1.29
44	155	Private	Dry	0.1317 (Hectare)	0.1317
45	156	Common	Dry	2.1547 (Hectare)	2.1547
Village: Sangola City					
46	275	Private	Dry/ non agriculture	0.5573 (Hectare)	0.5573
Total					13.4584

[F. No. RO/MUM/P-15/202-23/2001/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director